Ques :→ How does Lok Sabha exercise its control over central Cabinet.

OR, Discuss the relation that exists between Cabinet and Parliament.

OR, In theory cabinet dependent upon Parliament in Practices it is the master of Parliament.

Ans :→ भारतीय संविधान संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक है। मंत्रिमंडलात्मक का एक मुल लक्षण है व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। इसमें एक राज्याध्यक्ष होता है। जैसे भारतीय ~~प्रणाली~~ राष्ट्रपति या ब्रिटेन रानी। वह सिर्फ नाम का प्रधान होता है। वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित रहती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान या अगुआ होता है।

मंत्रिमंडल अपने अस्तित्व, अपनी नीति एवं कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। सिद्धान्त में संसद का मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण है।

संसद के बहुमत के आधार पर ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। भारत में लोकसभा में जिस दल का बहुमत रहता है उस दल का ही मंत्रिमंडल बन सकता है। दूसरे शब्दों में मंत्रिमंडल का जन्म लोकसभा के बहुमत के आधार पर होता है। मंत्रिमंडल का कार्यकाल भी मुलतः संसद पर आश्रित है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का जन्म और मृत्यु संसद पर आश्रित है। लोकसभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है। 1979 में देशाई मंत्रिमंडल की यही दशा हुई। बहुमत के अभाव के कारण प्रधानमंत्री श्री देशाई ने स्वंय त्यागपत्र दे दिया। बहुमत के अभाव के कारण ही चरण मंत्रिमंडल भी कुछ ही दिनों तक रहा।

मंत्रिमंडल संसद के निरन्तर नियंत्रण में ही शासन करता है। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के प्रमुख साधन निम्न-लिखित है —

(i) प्रश्न,

(ii) काम रोको प्रस्ताव

Scanned with CamScanner

(iii) कटौती का प्रस्ताव
(iv) बजट
(v) कानून
(vi) संसदीय समीतियाँ
(vii) ऑडिट
(viii) विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों पर विचार
(ix) राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से शिकायत
(x) आलोचना तथा वाद विवाद
(xi) अविश्वास का प्रस्ताव ।

मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण का एक अत्यन्त ही प्रभावशाली साधन संसदीय प्रश्न है। संसद का कोई भी सदस्य मंत्रि तथा प्रधानमंत्री से किसी भी सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछ सकता है। सदन का प्रथम घंटा प्रश्न घंटा है। दुसरे सदन में शब्दों में सदन की कार्यवाही प्रश्नों से ही प्रारम्भ होती है। प्रश्न द्वारा कुशासन एवं भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया जाता है। सरकारी नीतियों एवं प्रशासन की त्रुटियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस संबंध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्व० अर्ल एटली ने ठीक ही कहा है — "I always consider that question time in the House is one of the finest examples of real democracy." काम रोको प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी निश्चित, अत्यावश्यक तथा सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर अध्यक्ष की अनुमति से काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश किया जा सकता है। किसी असाधारण घटना की ओर सरकार तथा जनता का ध्यान आकर्षित करने का यह एक सर्वोत्तम साधन है। अध्यक्ष की अनुमति मिल जाने पर सदन की दैनिक कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है और काम रोको प्रस्ताव पर बहस शुरु हो जाती है। बहस के अंत में मतदान कराया जा सकता है। प्रस्ताव यदि पारित हो जाय तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है।

Scanned with CamScanner

हो तो वे वाद-विवाद की माँग कर के उस पर ध्यान और किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर ध्यान भी आकृष्ट करा सकती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर भी सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना की जा सकती है। प्रत्येक नई लोकसभा के प्रारम्भ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का यह भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है और इसके एक-एक शब्द के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायित्व होता है। इस भाषण में सरकार की भावी नीतियों एवं कार्यक्रमों का संकेत रहता है। इस अवसर पर संसद के सदस्यों को सरकार की आलोचना करने का अवसर प्राप्त होता है। विशेषकर विरोधी दल सरकार की धज्जी-धज्जी उड़ाते हैं।

बजट के माध्यम से भी संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। संविधान के अन्तर्गत कानून के प्राधिकार के बिना न सरकार कोई कर लगा सकती है, न कर वसूल सकती है। बजट प्रति वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा अनुदानों की माँग स्वीकृत की जाती है। इस अवसर पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसी प्रकार वित्त विधेयक के अवसर पर भी सरकार की आलोचना की जाती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर ने 24 मार्च 1950 को लोकसभा में कहा था —

"It is an acknowledged principle that any subject can be discussed on Finance Bill and any grievance ventilated."

कानून द्वारा भी संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। संविधान के अन्तर्गत कानून निर्माण का अधिकार व्यवस्थापिका को है। व्यवस्थापिका ही कानून बनाती है। संसद की इच्छा के विरुद्ध कोई कानून नहीं बन सकता है और सरकार कोई भी कार्य कानून के बिना नहीं कर

सकती है। संसद किसी भी विधेयक को स्वीकृत और अस्वी-
कृत कर सकती है।

संघ में शासन करने के लिए धन एवं कानून
आवश्यक है जो सरकार को संसद ही दे सकती है।

इतना ही नहीं लोकसभा मंत्रिमंडल के
विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है। अविश्वास
के प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल का अन्त किया जा सकता है।

—— x ——

Scanned with CamScanner